

बजट आवंटन आदेश-26

वर्ष 2022-23 के स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत स्टेट कैम्पा योजना में ए.पी.ओ. आईटम संख्या -52 **Monitoring and evaluation fo works executed under CAMPA (Third Party Evaluation)** के अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01

2406- Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State, Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Othher than Salary)

APO Item No 52- Monitoring and evaluation for works executed under CAMPA (Third Party Evaluation)

S. No.	Division/ office	Budget allotment			Remark
		Phy. Target Ha./no.	Unit Rate	Proposed outlay (Rs in Lacs)	
1	उप वन संरक्षक, जयपुर उत्तर	LS	LS	66.500	CF M&E Rajasthan Jaipur letter dated 10.6.2022
2	उप वन संरक्षक, अजमेर			0.500	
3	उप वन संरक्षक, भरतपुर			0.500	
4	उप वन संरक्षक, बीकानेर			0.500	
5	उप वन संरक्षक, जोधपुर			0.500	
6	उप वन संरक्षक, जयपुर			0.500	
7	उप वन संरक्षक, कोटा			0.500	
8	उप वन संरक्षक, उदयपुर			0.500	
कुल योग				70.000	

सामान्य शर्तें:

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.22 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार हो।
- 3 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा guidelines of Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 4 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 5 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार ही व्यय की जावे तथा इसमें से किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।

- 6 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कार्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों के आडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 7 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 8 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कशाये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संघारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 9 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।
- 10 कैम्पा के आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय संपादित किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं में परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 11 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित पद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।

Shikha
(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./2022-23/ 4521-40

दिनांक 16/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
- 4 उप वन संरक्षक, जयपुर उत्तर/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर। को प्रेषित कर लेख है कि प्रबोधन एवं मूल्यांकन की राशि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रबोधन एवं मूल्यांकन के निर्देशानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षा जोशी)

उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।